संख्या–वे0आ0–2–226 / दस–09–54(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव / प्रमुख सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग, नियुक्ति विभाग,
विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय,
राज्यपाल सचिवालय, न्याय विभाग, कार्मिक विभाग,
राजस्व विभाग, सतर्कता विभाग, निर्वाचन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 02 फरवरी, 2009

विषयः– उत्तर प्रदेश सचिवालय / सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों एवं सचिवालय स्तर पर गठित कार्यालयों के अनु सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव एवं विशेष सचिव तथा समकक्ष वेतनमान के पदों पर तैनात अधिकारियों को अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति–2008 द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सचिवालय / सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों एवं सचिवालय स्तर पर गठित कार्यालयों में निम्न तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित पदों पर तैनात अधिकारियों को उनके सम्मुख स्तम्भ–2 में उल्लिखित सचिवालय विशेष भत्ते की वर्तमान में अनुमन्य दरों को स्तम्भ–3 के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है :––

(धनराशि प्रतिमाह रूपये में)

पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरें	सचिवालय विशेष भत्ते की संशोधित दरें
1	2	3
1(अ)– सचिवालय सेवा के अनु सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी (ब)– अन्य सेवा के अनु सचिव पद पर तैनात अधिकारी	480 600	1550
2(अ)– सचिवालय सेवा के उप सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी	520	1650

प्रवेश

(ब)– अन्य सेवा के उप सचिव पद पर तैनात अधिकारी	800	
3(अ)– सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी (ब)– अन्य सेवा के संयुक्त सचिव पद पर तैनात अधिकारी	560 900	1800
4(अ)– सचिवालय सेवा के विशेष सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी (ब)– अन्य सेवा के विशेष सचिव एवं समकक्ष पद पर तैनात अधिकारी	600 1000	2000

2– उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराये जायेंगे।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–226(1)/दस–09–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः––

1– सचिव, वित्त (सामान्य) अनुभाग–1
2– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
3– उ0 प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग
4– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।